उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार – 249404

संख्याः 174/33(2)/परीक्षा परिणाम नियमावली/गोपन/2016 दिनांकः– 20 अगस्त, 2016

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम– 1985 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के अध्याय–5 (प्रकीर्ण) की धारा–11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग, "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012" में निम्नवत् संशोधन करते हैं–

"उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012"– (चतुर्थ संशोधन–2016)

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ–

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली– (चतुर्थ संशोधन)–2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

4– लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से चयन

4.1.3 प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम

पूर्व नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) प्रवीणता सूची – परीक्षा के स्वरूप के अनुसार एकल प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी। सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी 30 प्रतिशत अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 20 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि किसी उपश्रेणी (विकलांग उपश्रेणी को छोड़कर) में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष वांछित संख्या से कम हो तो उतनी संख्या में सम्बन्धित श्रेणी	(घ) प्रवीणता सूची – परीक्षा के स्वरूप के अनुसार एकल प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी। सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के पदों हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी 35 प्रतिशत अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि किसी

से अभ्यर्थी समायोजित कर लिए जाएंगे। तत्पश्चात परीक्षा में सम्मिलित पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणीवार पृथक–पृथक प्रवीणता सूची भी तैयार की जाएगी।	उपश्रेणी (विकलांग उपश्रेणी को छोड़कर) में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष वांछित संख्या से कम हो तो उतनी संख्या में सम्बन्धित श्रेणी से अभ्यर्थी समायोजित कर लिए जाएंगे। तत्पश्चात परीक्षा में सम्मिलित पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणीवार पृथक–पृथक प्रवीणता सूची भी तैयार की जाएगी।

4.2 मुख्य परीक्षा (लिखित) का परिणाम

4.2.2. गोपन अनुभाग

पूर्व नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) मूल्यांकन– 1–यदि किसी परीक्षा में किसी प्रश्नपत्र/विषय में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, तो उसमें न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची से अलग कर दिया जाएगा तथा चयन परिणाम सम्बंधी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सामान्य हिन्दी अनिवार्य विषय है, जिसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	(क) मूल्यांकन– 1–यदि किसी परीक्षा में किसी प्रश्नपत्र/विषय में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तो उसमें न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची से अलग कर दिया जाएगा तथा चयन परिणाम सम्बंधी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (i) जिन चयन परीक्षाओं में मुख्य (लिखित) परीक्षा में हिन्दी भाषा (सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की दशा में भाषा प्रश्नपत्र) संबंधी प्रश्नपत्र है, उसमें पूर्णांक का 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (ii) जिन चयन परीक्षाओं में कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा { सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान में 40 प्रतिशत अंक} संबंधी प्रश्नपत्र है, उसमें 40 प्रतिशत अंक (यदि किसी सेवा नियमावली में इसके भिन्न पृथक से कोई प्राविधान न हो) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2– यदि किसी परीक्षा में किसी अनिवार्य प्रश्नपत्र/विषय में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, तो उसमें न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों के अन्य विषयों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	2– यदि किसी परीक्षा में किसी अनिवार्य प्रश्नपत्र/विषय में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तो उसमें न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों के अन्य विषयों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

3–यदि किसी परीक्षा में निर्धारित वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थियों को एक या अधिक वैकल्पिक विषय चुनने की अनुमन्यता हो, तो उस परीक्षा में उन वैकल्पिक विषयों के मध्य अभ्यर्थियों के चयन परिणाम स्केलिंग पद्धति के आधार पर प्राप्त स्केल्ड मार्क्स के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।	3– यदि किसी परीक्षा में निर्धारित वैकल्पिक विषयों में से अभ्यर्थियों को एक या अधिक वैकल्पिक विषय चुनने की अनुमन्यता हो, तो उस परीक्षा में उन वैकल्पिक विषयों के मध्य अभ्यर्थियों के चयन परिणाम स्केलिंग पद्धति के आधार पर प्राप्त स्केल्ड मार्क्स के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। परन्तुक स्केलिंग में उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो Raw Marks, नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक पूर्णांक का प्राप्त करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो Raw Marks, आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक के बराबर प्राप्त नहीं करते हैं अथवा शून्य या ऋणात्मक अंक प्राप्त करते हैं, उनको स्केलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात् मेरिट सूची निर्मित की जाएगी। 4– जिन चयन परीक्षाओं में हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा ली जानी है, वह परीक्षा दस मिनट अवधि की होगी जिसमें हिन्दी में न्यूनतम 1333 की–डिप्रेसन (8000 की–डिप्रेसन प्रति घंटा की समतुल्यता) तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 1500 की–डिप्रेसन (9000 की–डिप्रेसन प्रति घंटा की समतुल्यता) की टंकण गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। टंकण परीक्षा में शुद्ध टंकित शब्दों के सापेक्ष ही की–डिप्रेसन की गणना नियमानुसार की जाएगी। अशुद्ध टंकित शब्दों के सापेक्ष की–डिप्रेसन की गणना कदापि नहीं की जाएगी।

5.(क) चयन/परीक्षा में अभ्यर्थियों की प्रतिभागिता की अनिवार्यता

नियमावली के **नियम–5** (केवल साक्षात्कार माध्यम से भर्ती हेतु चयन परिणाम) के पश्चात् एक नया **बिन्दु 5 क** निम्नवत् बढ़ाया जाता है :–

किसी भी चयन/परीक्षा की मेरिट सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा (जिस चयन/परीक्षा में चयन हेतु जितने भी स्तर/चरण सम्मिलित हों, के अनुसार) के प्रत्येक स्तर/चरण में अनिवार्य रुप से प्रतिभाग किया हो तथा प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा एवं मुख्य

(लिखित) परीक्षा (जिस चयन/परीक्षा में चयन हेतु जितने भी स्तर/चरण सम्मिलित हों, के अनुसार) हेतु परीक्षा योजना के अनुसार जितने भी प्रश्नपत्र/विषय निर्धारित हैं, उन सभी प्रश्नपत्रों/विषयों में अनिवार्य रुप से परीक्षा दिया हो/प्रतिभाग किया हो।

5. केवल साक्षात्कार माध्यम से भर्ती हेतु चयन परिणाम

पूर्व नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 – स्क्रीनिंग परीक्षा सम्पादित होने के पश्चात घोषित परिणाम में सफल अभ्यर्थी यदि, सन्निरीक्षा के उपरान्त अनर्ह घोषित होते हैं तथा शेष अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2.5 गुने से कम होती है, तो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर केवल एक बार के लिए वरीयता क्रम से श्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जा सकता है।	4 – स्क्रीनिंग परीक्षा सम्पादित होने के पश्चात घोषित परिणाम में सफल अभ्यर्थी, यदि सन्निरीक्षा के उपरान्त अनर्ह घोषित होते हैं तथा शेष अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2.0 गुने से कम होती है, तो आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा।

6.6 प्रवीणता क्रम/श्रेष्ठताक्रम'

पूर्व नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) जहाँ सेवा नियमावली में भर्ती की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख न हो, वहाँ निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार चयन परिणाम तैयार किया जाएगा :– (A) सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में दोनों के अंक जोड़ने पर यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमशः– (i) लिखित परीक्षा में अधिक प्राप्तांकों वाले अभ्यर्थी को प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जाएगा, यदि लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक हों तो– (ii) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जाएगा, यदि आयु भी बराबर हों तो– (iii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में पहले आने वाले अभ्यर्थी को	(2) जहाँ सेवा नियमावली में भर्ती की प्रक्रिया में स्पष्ट उल्लेख न हो, वहाँ निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार चयन परिणाम तैयार किया जाएगा :– (A) सीधी भर्ती में (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) दोनों के अंक जोड़ने पर यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जाएगा, (1). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक का योग तथा लिखित परीक्षा के अंक भी बराबर हैं तो ऐसे अभ्यर्थी, जिसने – (i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या

ऊपर रखा जाएगा।	(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या (iii) सेवा नियमावली में दी गई कोई अन्य अधिमानी अर्हता धारित करता हो, को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। परन्तुक ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास उपर्युक्त उल्लिखित तीनों अर्हताएं (प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा, एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण पत्र तथा सेवा नियमावली में उल्लिखित कोई अन्य अधिमानी अर्हता) हों, को उपर्युक्त में से केवल एक अथवा दो प्रकार की अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार उपर्युक्त कोई दो अर्हताएं धारित करने वाले अभ्यर्थी को उपर्युक्त केवल एक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। (2). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक का योग, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक तथा उपर्युक्त उल्लिखित (1)(i), (1)(ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं भी समान हों, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। (3). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक का योग, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, उपर्युक्त उल्लिखित (1)(i), (1)(ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं तथा आयु भी समान हों, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम में पहले आने वाले नाम के अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
(B) सीधी भर्ती (केवल लिखित परीक्षा माध्यम) यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमशः–	**(B) सीधी भर्ती (केवल लिखित परीक्षा माध्यम)** (1). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का योग बराबर हैं तो ऐसे अभ्यर्थी, जिसने –

(i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जाएगा, यदि आयु भी बराबर हो तो– (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में पहले आने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।	(i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या (iii) सेवा नियमावली में दी गई कोई अन्य अधिमानी अर्हता धारित करता हो, को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। परन्तुक ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास उपर्युक्त उल्लिखित तीनों अर्हताएं (प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा, एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण पत्र तथा सेवा नियमावली में उल्लिखित कोई अन्य अधिमानी अर्हता) हों, को उपर्युक्त में से केवल एक अथवा दो प्रकार की अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार उपर्युक्त कोई दो अर्हताएं धारित करने वाले अभ्यर्थी को उपर्युक्त केवल एक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। (2). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का योग तथा उपर्युक्त उल्लिखित (1) (i), (1) (ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं भी समान हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। (3). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का योग एवं उपर्युक्त उल्लिखित (1) (i), (1) (ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं तथा आयु भी समान हों तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम में पहले आने वाले नाम के अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
(C) सीधी भर्ती (केवल साक्षात्कार माध्यम):–यदि दो या अधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमशः– (i) ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को	**(C) सीधी भर्ती (केवल साक्षात्कार माध्यम):–** (1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंक बराबर हैं तो ऐसे अभ्यर्थी, जिनके –

प्रवीणताक्रम में ऊपर रखा जाएगा, यदि आयु भी बराबर हो तो– (ii) आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में पहले आने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।	(i) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या (iii) सेवा नियमावली में दी गई कोई अन्य अधिमानी अर्हता धारित करता हो, को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। परन्तुक ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास उपर्युक्त उल्लिखित तीनों अर्हताएं (प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा, एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण पत्र तथा सेवा नियमावली में उल्लिखित कोई अन्य अधिमानी अर्हता) हों, को उपर्युक्त में से केवल एक अथवा दो प्रकार की अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार उपर्युक्त कोई दो अर्हताएं धारित करने वाले अभ्यर्थी को उपर्युक्त केवल एक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी के सापेक्ष प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। (2). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा उपर्युक्त उल्लिखित (1)(i), (1)(ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं भी समान हों, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। (3). यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के प्राप्तांक, उपर्युक्त उल्लिखित (1) (i) (1) (ii) एवं (1)(iii) में वर्णित अर्हताएं तथा आयु भी समान हों, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नाम में पहले आने वाले नाम के अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

8. आयोग

क–1. **प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा** के अन्तर्गत निम्नवत् 'परन्तुक' जोड़ा जाता है :–

परन्तुक प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा का परीक्षा परिणाम एक बार घोषित हो जाने के

पश्चात् यदि अभ्यर्थियों की संख्या, किन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन किन्हीं कारणों से निरस्त किये जाने को कारण, कम हो जाती है तो पुनः प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

ख–लिखित (मुख्य) परीक्षा के अन्तर्गत निम्नवत् 'परन्तुक' जोड़ा जाता है :–

परन्तुक लिखित (मुख्य) परीक्षा का परीक्षा परिणाम एक बार घोषित हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थियों की संख्या, किन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन किन्हीं कारणों से निरस्त किये जाने को कारण, कम हो जाती है तो पुनः लिखित (मुख्य) परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

ख–लिखित (मुख्य) परीक्षा के पश्चात् एक नया बिन्दु 'ख' 'ख' निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

'ख' 'ख'– जिन समूह 'ग' के चयनों/परीक्षाओं में कम्प्यूटर पर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा (Qualifying Examination) का प्राविधान होगा, उनमें कम्प्यूटर पर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के सापेक्ष 05 (पांच) गुना की संख्या में मेरिट के आधार पर सफल घोषित किया जाएगा। कम्प्यूटर टंकण अथवा कम्प्यूटर के आधारभूत ज्ञान की अर्हकारी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही उनके मुख्य (लिखित) परीक्षा और साक्षात्कार (यदि प्राविधान हो) में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अंतिम रुप से चयनित किया जाएगा।

(एस0एन0पाण्डे),
सचिव
10.08.2016